...ायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2025	15.01.2025	02.04.2025

अनवान

1. प्रतापी पुत्री गोकल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. लक्ष्मी पुत्री गोकल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. वरदी पुत्री गोकल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कंकु पुत्री देवजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
2. कैलाशी देवी पत्नी कालुराम जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
3. गोकल पुत्र नारायण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
4. प्रभु देवी पत्नी हेमराज जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भैरू पुत्र देवजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. माधु पुत्र देवजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
7. शान्ति देवी पत्नी श्यामलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. सोहन पुत्र देवजी जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
9. चांदी बाई पत्नी नारायण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
10. नानुराम पुत्र गोकल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. मन्जु बाई पुत्री गोकल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मोहनी बाई पत्नी डालु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
13. रतन देवी पत्नी नाथुलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
14. सीता पत्नी रतनलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
15. शंकरी बाई पत्नी भैरूलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
16. मगनीराम पिता गोपीलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. रामलाल पुत्र परथु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री एन0के0चौहान — प्रार्थीगण

एकतरफा — अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमावंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 211 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1235, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1292 कुल रकबा 08 कुल रकबा 1.97 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 212 के आराजी संख्या 1240, 1288 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 222 के आराजी संख्या 1234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.23 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 12.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 4, 7, 10, 11, 17 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 8, 13, 15 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। आज दिनांक को शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदार होने से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 211 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1235, 1237, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1292 कुल रकबा 08 कुल रकबा 1.97 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 212 के आराजी संख्या 1240, 1288 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 222 के आराजी संख्या 1234 कुल किता 01 कुल रकबा 0.23 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुखलका)
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला–चित्तौड़गढ़